संख्या 736/VI-1/2009-2(3)/2009

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांक 07/12 नवम्बर, 2009

विषयः- 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संस्कृति भवन (प्रेक्षागृह) पौड़ी के अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 526/सं0नि0उ0/दो-119/2009-10 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, बाहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्कृति भवन (प्रेक्षागृह) पौड़ी के अनुरक्षण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पौड़ी द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 14.47 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 3.93 लाख (रू0 तीन लाख तिरानवे हजार) मात्र की निम्न शर्तो के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री क्रय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 का पालन कराना सुनिश्चित करें।

(3) उक्त धनराशि संगत लेखाशीर्षक के लघु निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण मानक मद से नियमानुसार वहन किया जायेगा।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ताओं से अवश्य करा लें।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(2)

(8) जी0पी0डब्लू0 फार्म की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा, तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(9) अनुरक्षण कार्य यथाशीध्र पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 दिसम्बर, 2009 तक उपलब्ध कराया जाय।

(10) पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तत्काल प्रेषित किये जाय।

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 2047/XII–219/(2006) दिनांक 30 मई, 2006 एवं शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू को वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुदान संख्या–7 लेखाशीर्षक–2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–053–रख रखाव तथा मरम्मत–आयोजनेत्तर –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं–0101–12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–291(पी)/XXXVII(3)/2009 दिनांक 04 नवम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पौड़ी।
8– मीडिया सेन्टर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।